संख्या-57/2023/I/281656/2023/23-11099/4043/2020

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 27/02/2023**

विषय:- जनपद चन्दौली में पूर्व मध्य रेलवे अन्तर्गत कर्मनाशा-सैयदराजा रेल सेक्शन के कि0मी0 653/19-21 के सम्पार सं0-75सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1701/ आर0ओ0बी0/वाराणसी क्षेत्र/सेतु-3/2022, दिनांक 30-11-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चन्दौली में पूर्व मध्य रेलवे अन्तर्गत कर्मनाशा-सैयदराजा रेल सेक्शन के कि0मी0 653/19-21 के सम्पार सं0-75सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-56/2020/127ई/23-11-2020-1/2(144)/2019, दिनांक 29-01-2020 द्वारा लागत रू0 6075.16 लाख(जिसमें भूमि अधिग्रहण की धनराशि रू0 186.51 लाख, मुख्य सेतु (रेलवे भाग) की लागत रू0 2588.30 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 3300.35 लाख की धनराशि सम्मिलित है)+जी0एस0टी0(नियमानुसार) की प्रदान की गयी थी।

प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 6746.06 लाख (रू0 सरसठ करोड़ छियालिस लाख छः हजार मात्र) (जिसमें मुख्य सेतु-रेलवे पोर्शन की लागत रू0 2588.30 लाख, भूमि अध्याप्ति व निबन्धन शुल्क की लागत रू0 356.21 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 3801.55 लाख सम्मिलित है) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	चन्दौली	जनपद चन्दौली में पूर्व मध्य रेलवे अन्तर्गत कर्मनाशा-सैयदराजा रेल सेक्शन के कि0मी0 653/19-21 के सम्पार सं0-75सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण का कार्य।	6075.16 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार)	6746.06

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान/व्यय सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-

http://shasanadesh.up.nic.in

2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय प्रशासकीय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रायोजना की मूल स्वीकृत लागत रू0 6075.16 लाख+जी0एस0टी0 नियमानुसार अनुमन्य की गयी थी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र-177/09/2022TRU, दिनांक 03-08-2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यो पर दिनांक 18-07-2022 से जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत लागत का आंकलन कार्यो पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 अनुमन्य कर किया गया है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। आगणन को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) प्रायोजना के अन्तर्गत रेलवे विभाग द्वारा मुख्य सेतु (रेलवे भाग) की लागत रू0 2588.30 लाख प्रस्तावित की गयी है। मुख्य सेतु की लागत को यथावत सम्मिलित करते हुए लागत अनुमोदित की गयी है।

(12) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत वन विभाग हेतु रू0 20.00 लाख, विद्युत विभाग द्वारा रू0 100.00 लाख, बी0एस0एन0एल0 द्वारा रू0 10.00 लाख तथा जल निगम द्वारा रू0 10.00 लाख लागत एकमुश्त प्रस्तावित की गयी है। विभाग द्वारा विस्तृत आगणन गठित कराकर तथा सम्बन्धित विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति (2.08 हे0) की लागत रू0 324.57 लाख, भवनों का मुआवजा हेतु रू0 25.56 लाख तथा भू-अर्जन हेतु रू0 6.08 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। भूमि अर्जन की कार्यवाही CALA (कम्पीटेन्ट अथारिटी फार लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(14) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(15) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्ससक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(18) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04-11-2022 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(20) उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-56/2020/127ई/23-11-2020-1/2(144)/2019, दिनांक 29-01-2020 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-101-पुल-05-रेलवे उपरिगामी सेतु-0516-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-15-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-638-X-2022-23, दिनांक 27-02-2023 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- महाप्रबन्धक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, बिहार।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
14- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
15- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
16- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
17- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in